प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(बेसिक)
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक शि0नि0(बे0)/नियोजन/ 30336-30430 /2021-22 दिनांक:24 सितम्बर, 2021

विषयः- राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम के अन्तर्गत "तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान" हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों ToFEI Guideline के अनुसार प्राथमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश वॉलन्टरी हेल्थ एसोसिएशन के पत्र दिनांक **17.09.2021** एवं **22.09.2021** तथा पत्र संख्या यूपीवीएचए/एन.टी.सी.पी./79/2021 दिनांक 12 अगस्त 2021, राज्य तम्बाकू नियंत्र0/2021-22/9011 लखनऊ दिनांक 18.08.2021 एवं दिनांक 01 सितम्बर 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम के अन्तर्गत' "तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान" हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों TOFEI Guideline के अनुसार प्राथमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त किये जाने सम्बन्धी वक्तव्य एवं तम्बाकू कम्पनियों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के कार्यकमों में विद्यार्थियों/शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिभाग को रोकने हेतु संवेदीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त के संदर्भ में प्रदेश के समस्त जनपदों में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम के अन्तर्गत' सी0ओ0टी0पी0ए0-2003 का अनुपालन कराया जा रहा है, जिसके कम में आपको अवगत कराना है कि भारत सरकार स्तर पर दिनांक 10.08.2021 को जारी **(Global Tobacco Survey(2021)** में उत्तर प्रदेश में युवाओं द्वारा तम्बाकू उपभोग 22 प्रतिशत है, जो कि देश के अन्य राज्यों से बहुत अधिक है एवं युवाओं के भविष्य को देखते हुए विचलित करने वाला है।

उक्त के कम में कृपया भारत सरकार द्वारा तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान (Tobacco Free Educational Institution (TOFEI)) हेतु प्रदत्त आपरेशनल गाइडलाइन के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला ताम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से विद्यालय कार्यक्रम के माध्म से युवाओं को तम्बाकू से होने वाली हानियों एवं सी0ओ0टी0पी0ए0-2003 के सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा है।

अतः भारत सरकार द्वारा तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान (Tobacco Free Educational Institution (TOFEI)) हेतु प्रदत्त आपरेशनल गाइडलाइन में दिये गये निर्देशों के अनुपालन एवं युवाओं के भविष्य को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय एवं राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा नामित स्वयं सेवी संस्था से सहयोग प्राप्त करते हुए समस्त शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू मुक्त घोषित करने एवं उसकी सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करते हुए इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः-यथोपरि।

भवदीया,

(ललिता प्रदीप)
अपर शिक्षा निदेशक (शिविर)
शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

o/c